न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
वाद संख्या–46 / 2013
विमला देवी बनाम बिहार सरकार

आदेश की क्रम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
06/02/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा मौजा–धोई, थाना संख्या–602, खाता संख्या–797, खेसरा संख्या–242 रकवा 1 डी0 सरकारी सड़क की भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त कर उभय पक्ष को सुना। आवेदिका (अपीलार्थी) का कथन है कि प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा दिनांक–20.01.2013 / 21.01.2013 को प्रश्नगत भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया गया है। उनका आगे कथन है कि आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध किसी भी स्तर पर अपील आवेदन दाखिल नही किया है, और न ही कोई वाद विचाराधीन है। आवेदिका ग्राम–धोई मिश्ररौलिया थाना संख्या–602 अंचल–सदर, जिला–दरभंगा स्थित खाता संख्या–797 पुराना खेसरा संख्या–242 रकवा 3 डी0 पर घर अवस्थित है, जिसमें अपने परिवार के साथ रहती आ रही है। आवेदिका के ससुर का प्रश्नगत भूमि पर करीब 70 वर्षो से दखल –कब्जा में चल रहा है। द्वितीय पक्ष के सदस्य राम बाबू यादव के द्वारा अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा के समक्ष पुराना खेसरा संख्या–245 को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। द्वितीय पक्ष द्वारा दिनांक–06.09.2012 को दाखिल आवेदन में उल्लेख किया है कि पुराना खेसरा संख्या–242 नया–1070 रकवा 03 डी0 में आवेदिका के चचेरे ससुर रामेश्वर यादव का मकानमय सहन है। आवेदिका के चचेरे ससुर का कोई वारिसान नही रहने के कारण उक्त जमीन आवेदिका को प्राप्त हुआ। उनका यह भी कहना है कि अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा रहस्यमय ढ़ंग से कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है जिसमें वाद संख्या नही है, और गलत खेसरा पर वाद प्रारम्भ किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर के द्वारा अपने आदेश में समय–समय पर खेसरा का परिवर्त्तन किया जाता रहा है। प्रश्नगत भूमि की कभी भी स्थल जॉच नही की गयी है। अंचल अधिकारी द्वारा कथित अतिक्रमण के संबंध में कोई कागजी एवं मौखिक साक्ष्य	

नही लिया गया। उनका यह भी कहना है कि आवेदिका (अपीलार्थी) को कभी भी कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु विधि में निहित प्रावधान के आलोक मे सूचना प्राप्त नही कराया गया। जिस कारण अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित नही रहने के कारण उसे निरस्त करने का अनुरोध करते है।

विपक्षी संख्या–02 रामबाबू यादव की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर आवेदन के समर्थन में उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील वाद कानून की दृष्टि में चलने योग्य नही है। इस मामले से संबंधित अपील वाद इस न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन है एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–12060 /2013 विचाराधीन है, इससे स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दो अपील वाद विचाराधीन है। अपीलार्थी अंचल अधिकारी, सदर द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पारित आदेश के कार्यान्वयन को स्थगित करने के उद्देश्य से इस प्रकार घटना कारित कर रहे है। आवेदिका के द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध गलत ढ़ंग से अपील आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदिका के पति के भाई सुरेश यादव को निम्न न्यायालय द्वारा निर्गत प्रपत्र–II प्राप्त कराया गया था। आवेदिका द्वारा समय सीमा के भीतर अपील वाद दायर नही किया गया। साथ ही उनके द्वारा अंचल अमीन द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का कोई विरोध नही किया गया। उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पुराना खेसरा संख्या–242 रकवा–3 डी0 जो सरकारी सड़क है, जिसके संबंध में आवेदिका द्वारा कोई हकियत से संबंधित कागजात दाखिल नही किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अपीलकर्त्ता द्वारा 03 डी0 सरकारी सड़क की भूमि अतिक्रमण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण मुक्त किया जाना अपेक्षित है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकनोपरांत मेरा यह समाधान होता है कि अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण वाद में अपीलार्थी विमला देवी को अतिक्रमणकारी घोषित करने के उपरांत आवेदिका को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। साथ ही मूल अभिलेख में दिनांक–30.10.2012 के आदेश में क्रमांक–01 पर सुरेश प्रसाद यादव को अतिक्रमणकारी बताया गया है जबकि क्रमांक–02 पर तदैव लिखा गया है। ऐसे में स्पष्ट नही होता है कि किस आधार पर दिनांक–14.11.12 को

अपीलार्थी विमला देवी को अतिक्रमणकारी घोषित किया गया है।

अतएव इस न्यायालय द्वारा दिनांक–11.07.2013 को यथा स्थिति बहाल रखने का आदेश को वापस लेते हुए अंचल अधिकारी, सदर द्वारा दिनांक–14.11.2012 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि संबंधित अतिक्रमण वाद में नापी के आधार पर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उन्हें सूचना निर्गत करें तथा उचित अवसर देने के उपरांत सुनवाई कर दो माह के अंदर अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करें।

उपरोक्त विवेचना के साथ अपील आवेदन निष्पादित किया जाता है। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, सदर, दरभंगा को भेजे।

6/2/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।